न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :– 148/2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/251

प्रार्थीगण **बनाम** **विप्रार्थीगण**

प्रार्थीगण

1.केराराम पुत्र किशनाराम
2.घमाराम पुत्र किशनाराम
3.गोगी पत्नी किशनाराम
4.चुतराराम पुत्र कुम्भाराम
5.भोमाराम पुत्र कुम्भाराम
6.वाली देवी पत्नी कुम्भाराम
जाति जाट निवासी हापानाड़ा तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगण

1.मोहनराम पुत्र खरताराम
2.जगदीशराम पुत्र खरताराम
3.गोपाराम पुत्र खरताराम
4.बुधाराम पुत्र लाधाराम
5.राणाराम पुत्र अखाराम
6.लिखमाराम पुत्र मगाराम
7.उमाराम पुत्र वालाराम
8.घेवर पुत्र वालाराम
9.बाबुराम पुत्र वालाराम
10.खीमाराम पुत्र मगाराम
11.नथाराम पुत्र विशनाराम
12.पताराम पुत्र विशनाराम
13.सुरताराम पुत्र विशनाराम
14.मांगाराम पुत्र विशनाराम
15.अमाराम पुत्र तेजाराम
16.चूनाराम पुत्र तेजाराम
17.तनाराम पुत्र तेजाराम
18.नेनाराम पुत्र तेजाराम
19.पपाराम पुत्र तेजाराम
20.मदाराम पुत्र तेजाराम
21.सुखाराम पुत्र तेजाराम
22.सोनाराम पुत्र तेजाराम
जाति जाट निवासी ढांढणिया
23.करनाराम पुत्र मंगलाराम
24.पेमाराम पुत्र मंगलाराम
25.पूरणाराम पुत्र मंगलाराम
26.राणाराम पुत्र हमीराराम
जाति जाट निवासी हापानाड़ा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

27.सुरताराम पुत्र आसूराम

28.गोरखाराम पुत्र वेनाराम

29.जुगताराम पुत्र धनाराम

30.प्रभुराम पुत्र वेनाराम

31.नराराम पुत्र गंगाराम

32.मूलाराम पुत्र झालाराम
जाति जाट निवासी ढांढणिया

33.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
कल्याणपुर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1.श्री पुनमाराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण

2.श्री रूगाराम कड़वासरा अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1 से 8 व 10 से 14,16 व 23 से 25,27 से 30 व 32

3.विप्रार्थी संख्या 2 से 9 व 21,22 एकपक्षीय

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आदेश

दिनांक 30.01.2026

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम हापानाड़ा तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 31 क्षेत्रफल 6.9039 हैक्टयर व खसरा संख्या 235/31 क्षेत्रफल 6.9120 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा ग्राम हापानाड़ा तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 31 क्षेत्रफल 6.9039 हैक्टयर व खसरा संख्या 235/31 क्षेत्रफल 6.9120 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री रूगाराम कड़वासरा द्वारा विप्रार्थी संख्या 1 से 8 व 10 से 14,16 व 23 से 25,27 से 30 व 32 की ओर से वकालतनामा पेश

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

किया गया। विप्रार्थी अधिवक्ता को जवाब पेश किए जाने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नही किए जाने पर जवाब बन्द किया गया। विप्रार्थी संख्या 2 से 9 व 21,22 को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण विप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अम्ल में लाई गई।

3.हमनें उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम हापानाड़ा तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 31 क्षेत्रफल 6.9039 हैक्टयर व खसरा संख्या 235/31 क्षेत्रफल 6.9120 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहते है। प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम हापानाड़ा तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 31 क्षेत्रफल 6.9039 हैक्टयर व खसरा संख्या 235/31 क्षेत्रफल 6.9120 हैक्टेयर भूमि की नेखमवन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.इसके विपरीत विप्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण की ओर से मनगढन्त तथ्यो के आधार पर आवेदन पत्र पेश किया गया है,जो चलने योग्य नही है। क्योकि विप्रार्थी की ओर से प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे दंखलदान्जी नही की गई है। जबकि प्रार्थीगण आए दिन सीमाओ को लेकर विप्रार्थी पक्ष से विवाद करतर रहता है। प्रार्थीगण द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर आवेदन पेश किए जाने के कारण प्रार्थीगण का आवेदन खारिज किया जावे।

5.हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम हापानाड़ा तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 31 क्षेत्रफल 6.9039 हैक्टयर भूमि प्रार्थी संख्या 1 से 3 की खातेदारी व खसरा संख्या 235/31 क्षेत्रफल 6.9120 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी संख्या 4 से 6 की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार होने के कारण विवादित भूमि की सीमाओ को लेकर सेढा पड़ौसीगो मे सीमा विवाद होना बताकर विवादित भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. का उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–**धारा 128 सीमा विवाद**–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 08.04.2025 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का उल्लेख नही है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना–पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम हापानाड़ा तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 31 क्षेत्रफल 6.9039 हैक्टयर व खसरा संख्या 235/31 क्षेत्रफल 6.9120 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए पैमाईश कर विधिनुसार कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार कल्याणपुर को आदेशित किया जाता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

30/01/2026
(अशोककुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 30.01.2026 लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

30/01/2026
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा